



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आश्विन 1945 (श०)
(सं० पटना 815) पटना, शुक्रवार, 6 अक्टूबर 2023

सांस्थिक वित्त निदेशालय
वित्त विभाग

अधिसूचना
5 अक्टूबर 2023

सं० 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1307/वि०--केन्द्र सरकार के अविनियमित निक्षेप पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का 21) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से, राज्य के समस्त प्रमण्डलीय आयुक्त को उनके अपने क्षेत्राधिकार के भीतर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, धारा 30 के प्रावधानों को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

2. पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०-08/NBFC-12/2019-699, दिनांक-18.03.2021 को विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
प्रधान सचिव।

The 5th October 2023

No 08/NBFC-12/2019 (खंड) 1307/वि०-- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 7 of The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (No. 21 of 2019) of Central Government of India, the State Government, hereby, appoints

all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purpose of the said Act, except section 30 of the Act.

2. Previously issued Notification no-08/NBFC-12/2019-699 dated 18.03.2021 is hereby repealed.

By the order of the Governor of Bihar,
Arvind Kumar Chaudhary,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 815-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>